

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515]

भोपाल, रविवार, दिनांक 10 नवम्बर 2013—कार्तिक 19, शक 1935

#### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2013

फा. क्र. 1-2013-चार-क-विधि.निर्वा.-764.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576/EXIT/2013/SDR दिनांक 7 नवम्बर 2013 एवं सं. 576/एग्जिट/2013/एस.डी.आर. दिनांक 7 नवम्बर 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, अपर सचिव.

#### भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर, 2013

#### अधिसूचना

सं. 576-एग्जिट-2013-एस.डी.आर.—यतः, आयोग के दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 के प्रेस नोट संख्या ई सी आई/पी एन/43/2013, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 के प्रेस नोट संख्या ई सी आई/पी एन/47/2013 के द्वारा यथासंशोधित छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा तमिलनाडु से 83-यरकौड (अ.ज.जा.) और गुजरात से 167-सूरत पश्चिम की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों की समय-अनुसूची घोषित की गई थी;

2. तथा यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के उपबंधों के अनुरूप, इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणाम के प्रसारण तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध होगा;

3. तथा यतः, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा तमिलनाडु और गुजरात विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों की घोषणा एक ही समय पर की गई है, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान प्रारंभ होने के पहले दिन से मतदान होने की तारीख तथा समय से शुरु होकर मतदान के आखिरी दिन में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा;

4. अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 11 नवम्बर, 2013 (सोमवार) अर्थात् छत्तीसगढ़ में मतदान के पहले दिन पूर्वाह्न 7.00 बजे और 4 दिसम्बर 2013 अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा तमिलनाडु और गुजरात की राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के लिए मतदान के अंतिम दिन के अपराह्न 5.30 बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों तथा तमिलनाडु और गुजरात विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी प्रकार का एग्जिट पोल करना और किसी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करना या उसका प्रचार-प्रसार करना या उसका किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करना, प्रतिबंधित रहेगा।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ओपीनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के पोल सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि, जो पूर्वोक्त साधारण निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, के लिए प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश से,

हस्ता./-

(आशीष चक्रवर्ती)

सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 7th November, 2013

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2013-SDR.—WHEREAS, the schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and National Capital Territory of Delhi and bye-elections to Legislative Assemblies of Tamil Nadu from 83-Yercaud (ST) assembly constituency and Gujarat from 167-Surat West assembly constituency have been announced by the Commission *vide* its Press Note No. ECI-PN-43-2013, dated 4th October, 2013 as modified *vide* Press Note No. ECI-PN-47-2013 dated 23rd October, 2013;

2. AND WHEREAS, as per the provisions of Section 126A of the R. P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. AND WHEREAS, the General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh Mizoram, Rajasthan and National Capital Territory of Delhi and bye-elections to Legislative Assemblies of Tamil Nadu and Gujarat have been announced together, the ban on exit polls shall start from the date and the time of commencement of the poll on the first day of poll and continue till half-an-hour after closing of the poll on the last day of poll;

4. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R. P. Act, 1951, the Election Commission having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A. M. on 11th November, 2013 (Monday) *i. e.* the first day of poll in Chhattisgarh and 5.30 P. M on 4th December, 2013 *i. e.* the last day of poll in National Capital Territory of Delhi and bye-elections to the State Legislative Assemblies of Tamil Nadu and Gujarat, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and National Capital Territory of Delhi and bye-elections to Legislative Assemblies of Tamil Nadu and Gujarat, shall be prohibited.

5. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R. P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with aforesaid General elections and bye-elections.

By order,

Sd./-

(ASHISH CHAKRABORTY)

Secretary.